संख्या-07/2025/001-1325-23-12-2024-23-12002-001-5-2024

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 13 जनवरी, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार तथा विभिन्न मार्गो पर सुरक्षा सम्बन्धी कार्य योजनान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जनपद-बुलन्दशहर, अम्बेडकरनगर, कानपुर देहात एवं चन्दौली के कुल 10 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-276/01-आगणन फाईल/2024(188364), दिनांक 06.12.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में दुर्घटना वाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार तथा विभिन्न मार्गो पर सुरक्षा सम्बन्धी कार्य योजनान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित विभिन्नह क्षेत्रों के अंतर्गत जनपद-बुलन्द्शहर, अम्बेरडकरनगर, कानपुर देहात एवं चन्दौ ली के कुल 10 कार्यो की कुल लागत रु0 608.44 लाख (रूपये छः करोड़ आठ लाख चौवालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागत के सापेक्ष कुल रु0 304.19 लाख (रूपये तीन करोड़ चार लाख उन्नीस हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	जनपद/ खण्ड का नाम	विधान सभा	कार्य का नाम	प्रथम चरण कार्ययोजना का क्रमांक	परीक्षणो परान्त लागत (रू0 लाख में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित आवंटन (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मेरठ	बुलन्दशहर /प्रा0खं0	डिबाई	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में मुरादाबाद-गवां-बुलन्दशहर मार्ग (अनूपशहर डिबाई भाग सहित राज्य मार्ग सं0 148) के किमी0 118 में ट्रक ले बाई का निर्माण कार्य।	221	190.30	95.15
2	मेरठ	बुलन्दशहर /प्रा0खं0	अनूपशहर	रोड सेफ्टी के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में मुरादाबाद-गवां-बुलन्दशहर मार्ग (अनूपशहर डिबाई भाग सहित राज्य मार्ग सं0 148) के किमी0 100 में ट्रक ले बाई का निर्माण कार्य।	222	187.18	93.59
3	अयोध्या	अम्बेडकर नगर/ नि0ख0	जलालपुर	जनपद अम्बेडकरनगर में नि0खं0 के अन्तर्गत मालीपुर-जलालपुर- रामगढ़ मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) पर पड़ने वाले 04 टी-जंक्शन (चै0 12.200, 13.200, 15.200, 24.850) पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	78	22.95	11.47
4	अयोध्या	अम्बेडकर नगर/ नि0ख0	जलालपुर	जनपद अम्बेडकरनगर में नि0ख0 के अंतर्गत दोस्तपुर-अकबरपुर जलालपुर-न्योरी मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) पर पडने वाले 03 चौराहे (चै0	77	40.65	20.32

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

				30.00, 35.200, 41.100) एवं 3 टी-जंक्शन(चै0 42.400, 48.320, 47.670) पर सड़क सुरक्षा का कार्य।			
5	कानपुर	कानपुर देहात/निर्माण खण्ड-1	कुण्डा	जनपद कानपुर देहात में नि0खं0-1 के अन्तर्गत पिपरी अमरौधा ट्योंगा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर पड़ने वाले 02 टी-जंक्शन (चै0 0.000, 1.850) पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	92	4.61	2.30
6	कानपुर	कानपुर देहात/ नि0ख0 खण्ड-1	सदर	जनपद कानपुर देहात में नि0खं0-1 के अन्तर्गत भोगनीपुर झींझक बिषधन बिल्हौर मार्ग (राज्य मार्ग) पर पड़ने वाले 02 चौराहे (चै0 2.300, 7.500) एवं 15 टी-जंक्शन (चै0 0.825, 1.050, 1.450, 1.750, 2.950, 3.550, 4.550, 4.600, 5.750, 6.300, 7.200, 8.350, 8.970, 10.100, 10.200) पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	91	26.17	13.08
7	कानपुर	कानपुर देहात/ प्रान्तीय खण्ड	सदर	जनपद कानपुर देहात में प्रा0खं0 के अन्तर्गत चौबेपुर बेला मार्ग (राज्य मार्ग) पर पड़ने वाले 01 चौराहे (चै0 41.000) एवं 08 टी-जंक्शन (चै0 31.450, 32.300, 33.050, 35.900, 36.900, 40.200, 44.00, 44.500) पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	93	21.87	10.93
8	कानपुर	कानपुर देहात/ प्रान्तीय खण्ड	सदर	जनपद कानपुर देहात में प्रा0खं0 के अन्तर्गत रूरा बनीपारा मिण्डाकुआं मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर पड़ने वाले 02 चौराहे (चै0 3.600, 8.900) एवं 13 टी-जंक्शन (चै0 0.900, 1.050, 1.900, 7.000, 7.100, 8.900, 10.500, 11.700, 12.200, 12.600, 13.000, 17.100, 19.800) पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	94	34.08	17.04
9	वाराणसी	चन्दौली/ नि0ख0	चकिया	जनपद चन्दौली में नि0खं0 के अन्तर्गत जीवनाथपुर-कंचनपुर-सिकन्दरपुर-चकिया-नौगढ़-मधुपुर मार्ग (राज्य मार्ग) पर पड़ने वाले 04 चौराहे (चै0 21.800, 26.400, 27.100, 69.800) एवं 26 टी-जंक्शन (चै020.600, 22.180, 22.500, 23.800, 24.600, 36.200, 37.200, 38.600, 43.500, 47.500, 48.200, 50.200, 55.100, 64.500, 65.200, 66.600, 67.700, 68.300, 69.500, 72.200,73.300,74.600,76.600,80.800, 82.200, 89.200) पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	206	62.28	31.14
10	वाराणसी	चन्दौली/ नि0ख0	चकिया	जनपद चन्दौली में नि0खं0 के अन्तर्गत मझगाई तिवारीपुर माग (अन्य जिला मार्ग) पर पड़ने वाले 04 चौराहे (चै0 2.600, 5.200, 8.500, 9.600) एवं 10 टी-जंक्शन (चै0 0.100, 1.500, 2.200, 3.300, 3.500, 4.400, 6.800, 7.500, 8.600, 9.500) पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	208	18.35	9.17
					कुल योग	**608.44**	**304.19**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रशासकीय विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) प्रशासकीय विभाग विभागीय व्यतय वित्तय समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके प्रशा0 विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्ति धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(10) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय प्रशासकीय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) प्रशा0 विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(12) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(13) प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।

(14) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासकीय विभाग का होगा।

(15) प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(17) प्रशा0 विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्ती य स्वीकृति से सम्ब(न्धित वित्तीगय प्रबन्धन के सम्बभन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्याप-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्यात-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(18) प्रशा0 विभाग द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) प्रशासकीय विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2/2017/बी-3-1034/दस-2017-100(4)/2002ब0मै0, दिनांक 21.11.2017 के प्राविधानानुसार कृपया बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के तहत सक्षम स्तर का अनुमोदन अपने स्तर से प्राप्तआ कर लेंगे।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 30419000 (रूपये तीन करोड़ चार लाख उन्नीकस हजार मात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371400 दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पाट का सुधार, सौन्दयीकरण तथा विभिन्न सुरक्षा संबंधी कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-554-एक्स-2024-25, दिनांक 27.12.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनुसचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०प्रयागराज।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
4- मुख्य अभियन्ता(मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
8- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र०शासन।
10- अधीक्षण अभियन्ता, आई0डी0एस0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- नोडल अधिकारी, (ऑनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम),लोक निर्माण विभाग ,उ०प्र०शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनुसचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।